

पंकज (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

सं. 115/1-331-50-उत्तर प्रदेश राज्यपाल महोदय का पत्र है कि इंडियन एक्ट, 1927 (एक्ट सं. 16, 1927) की धारा 29 की उप धारा (3) के अधीन अप्रकृत जांच तथा अभिलेख करने में इतना अधिक समय लगता कि इस बीच राज्य सरकार के अधिकारों को खतम हो सकता है।

अतएव उपर्युक्त धारा की उप धारा (1) द्वारा प्राप्ति अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि इस प्रकार जांच तथा अभिलेख करने तक संवत् एक्ट के अध्याय 4 के उपबंध लागू अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर लागू होगी।

अनुसूची

जिला	नाम सड़क	पूरी मील, फर्लांग और पटीटी में	विवरण
39 - बस्ती	1. जी. टी. रोड नेशनल हाइवे	85 मील से 148 मील तक योग 64 मील	भूमि की सीमा पत्थरों द्वारा अंकित की गयी है।
	2. जी. टी. रोड नेशनल हाइवे	मील 89 से 92 बाईपास पूरी लम्बाई 5 1/2 मील	
	3. बस्ती - डुमरियागंज बरहमी रोड	मील 5 फ. 3 से मील 55 = 50 5/8 मील	
	4. खलीलाबाद - मुदहल रोड	मील 1 से 15 = 15 मील	
	5. खलीलाबाद - नाथनगर मुखलिसपुर रोड	मील 1 से 13 मी. 4 फ. = 12 1/2 मील	
	6. खलीलाबाद रेलवे फीडर	शून्य से 32 मील 2 फ.	
	7. बस्ती - बांसी रोड	शून्य से 32 मील 2 फ.	
	8. बांसी - नौगढ़ रोड	1 फ. 238 फीट से 9 मील 6 फ. तक	
	9. नौगढ़ - शोहरतगढ़	शून्य से 14 मील 2 फ.	
	10. शोहरतगढ़ - नेपाल बार्डर रोड	शून्य से 5 मील 4 फ.	
	11. नौगढ़ - लुम्बिनी गार्डन्स रोड	शून्य से 16 मील 330 फीट	

Photo copy attached

साथ में
लिखतबनगर

बंगलूर (प्रवक्ता)
रिलायंस विद्युत ऊर्जाकॉम लिमिटेड
लखनऊ